संख्या-1/जी-1-143/दस-2013-226/2008

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 17 दिसम्बर, 2013

विषय-वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या जी-1-953/दस-2008-226/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 08-12-2008 में 'सी' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत शहरों की तालिका में अंकित 'भवाना' के स्थान पर 'मवाना' पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 08-12-2008 को कृपया इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव

संख्या-1/जी-1-143(1)/2013-226/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) महालेखाकार-1, 2 व 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन प्रतियों में)

(5) सचिव, श्री राज्यपाल।

(6) विधान सभा/परिषद सचिवालय।

(7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

(8) समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
अजय अग्रवाल
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in